कार्यालय प्रभारी नजारत अनुभाग, बाह्य न्यायालय, छिबरामऊ, जनपद कन्नौज।

कार्यालय विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, कन्नौज के आदेश संख्या–309 दिनांकित 23.03.2026, आदेश संख्या–375 दिनांकित 01.04.2026 एवं आदेश संख्या–383 दिनांकित 03.04.2026 के अनुपालन में ठेका नीलामी समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों/कार्यवृत्त दिनांकित 30.03.2026, 02.04.2026 के अनुसार द्वारा बाह्य न्यायालय छिबरामऊ में न्यायालय परिसर में वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु निम्नलिखित ठेके उठाये जाने हेतु दिनांक 09.04.2026 को सांय 04:30 बजे तिथि नियत की गयी थी, परन्तु उक्त तिथि को कैण्टीन ठेका हेतु 02 व्यक्ति उपस्थित हुए तथा अन्य किसी ठेके हेतु कोई बोलीदाता उपस्थित नहीं हुआ है:–

अतः बाह्य न्यायालय छिबरामऊ में न्यायालय परिसर में वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु निम्नलिखित ठेके उठाये जाने हेतु पुनः दिनांक 17.04.2026 को सांय 04:30 बजे तिथि नियत की जाती है:–

01. ठेका कैन्टीन
02. ठेका स्टाम्प वेण्डर
03. ठेका बिस्कुट नमकीन

ठेका हेतु अनिवार्य शर्तें–

सभी बोली दाताओं को निम्नलिखित धनराशि, निम्नलिखित प्रतिभूति के रूप में, बोली बोलने से पूर्व जमा करनी होगी, जिसकी बोली स्वीकार नहीं होगी उसकी जमा धनराशि उसी दिन निर्धारित प्रक्रिया के बाद वापस कर दी जायेगी।

क्रम सं0	ठेका का नाम	जमानत धनराशि
01	ठेका कैन्टीन	रू0–10,000/– रूपये
02	ठेका स्टाम्प वेण्डर	रू0–5,000/– रूपये
03	ठेका बिस्कुट नमकीन	रू0–5,000/– रूपये

01. बिना जमानत धनराशि जमा कराये कोई भी बोलीदाता बोली का हकदार नहीं होगा।
02. उपरोक्त सभी ठेकों को चलाये जाने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करनी होगी, जिसका ठेका में कोई लाभ नहीं मिलेगा।
03. ठेका की बोली बाह्य न्यायालय छिबरामऊ, कन्नौज में निर्धारित तिथि 17.04.2026 को साय 04.00 बजे बोली की जायेगी।
04. अन्तिम बोलीदाता वित्तीय वर्ष 2026–2027 के ठेके का हकदार होगा।
05. ठेका प्रारम्भ होने की तिथि से पहले नीलामी की कुल धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी, शेष धनराशि दो किश्तों में क्रमशः प्रथम किस्त जून 2026 व द्वितीय किस्त सितम्बर 2026 तक जमा करनी होगी। अवशेष धनराशि का समय पर भुगतान न करने पर ठेकेदार को डिफाल्टर माना जायेगा तथा अगले वर्ष नीलामी की प्रकिया में भाग लेने से वंचित किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियत समयावधि में अवशेष धनराशि जमा न किये जाने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा ठेका अनुबन्ध निरस्त किये जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
06. माननीय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज के अनुमोदन के उपरान्त ठेका की बोली अन्तिम मानी जायेगी।
07. माननीय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज को किसी भी समय किसी भी ठेके को बिना नोटिस दिये निरस्त किये जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
08. किसी भी अवांछनीय व्यक्ति को ठेका में बोली बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक बोलीदाता को ठेका में बोली बोलने से पूर्व अपने चरित्र से सम्बन्धित दो सभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र तथा स्वंय का एक नोटरीपत्र इस आशय का प्रस्तुत करना है कि वह किसी फौजदारी मुकदमें में न तो वांछित है और न ही सजायाफ्ता है।

उपरोक्त ठेकों की बोली हेतु निर्धारित तिथि 17.04.2026 को साय 04.00 बजे खुली बोली की जायेगी।

दिनांक 10.04.2026

Anupam Kushwaha 10-4-26
(अनुपम कुशवाहा)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
सिविल जज (सी0डि0)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिबरामऊ, कन्नौज

प्रतिलिपिः–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः–

01. जिला सूचनाधिकारी, कन्नौज को जनपद के समाचार पत्रों में निःशुलक प्रकाशन हेतु।
02. केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय कन्नौज के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
03. नगर पालिका परिषद, छिबरामऊ के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
04. रोडवेज बस स्टैण्ड, छिबरामऊ के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
05. तहसील छिबरामऊ के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
06. जनपद न्यायालय कन्नौज की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
07 वाह्य न्यायालय छिबरामऊ के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

Anupam Kushwaha 10-4-26
(अनुपम कुशवाहा)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
सिविल जज (सी0डि0)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिबरामऊ, कन्नौज